



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज खान

Kadar Nawaz Khan

कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

No.: 10/2013/2015/BOS/NVPS/34/218

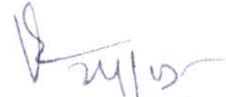
Date : 24.05.2017

अधिसूचना

गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्ययन-मंडल की 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित नौवीं बैठक में मद संख्या 05 के अंतर्गत लिए गए निर्णय तथा विद्या-परिषद की 26वीं बैठक में इसकी स्वीकृति के आलोक में पी-एच.डी. शोधार्थी श्री नीरज कुमार को एक वर्ष की शोध अवधि (18.07.2017 से 17.07.2018 तक) का विस्तार (फेलोशिप रहित) दिया जाता है।

पी-एच.डी. अध्यादेश: 45/2009 के अनुच्छेद 07.3 के अनुसार शोधार्थी द्वारा उक्त अवधि में शोध-प्रबंध जमा नहीं कराने की स्थिति में उनका पी-एच.डी. पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।


(कादर नवाज खान)

प्रतिलिपि:

1. संकायाध्यक्ष, संस्कृति विद्यापीठ।
2. अध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग को संबंधित शोधार्थी एवं उनके शोध निर्देशक को उक्त निर्णय से अवगत कराने के अनुरोध के साथ।
3. परीक्षा विभाग।
4. अकादमिक विभाग।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।

17/1
Amr